

पत्रांक-श्रम क० स०-59/2019-467

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 07 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 700000/- (सात लाख रूपए) एवं 06 स्वाभाविक मृत्यु के मामले में ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 880000/- (आठ लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ पि:शक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० लालबाबु साह, 57, अ० पि वर्ग	श्रीमती मैना देवी (पत्नी)	442/28.09.19	ग्रा०+पो०-भैसही, प्र०-मांझा, गोपालगंज	11227050 511	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0000085	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सभी बेचने का कार्य
2	स्व० संदीप कुमार, 23, अनु० जाति	श्री शिवमंगल राम(पिता)	444/28.09.19	ग्रा०-मधुरापुर, पो०-बेलसण्ड, प्र०-बरोली, गोपालगंज	10029510 30102590	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कपड़ा मिलाई/बुनाई का कार्य
3	स्व० अमर साह, 36, पि० वर्ग	श्रीमती विद्यावती देवी (पत्नी)	446/28.09.19	ग्रा०-बलिवन राममल, पो०-बलिवन सागर, प्र०-कोचायकोट, गोपालगंज	00103400 1005688	सिवान सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० सिवान, IBKLO1076SB	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मक्खन निर्माण मजदूर
4	स्व० मुन्द्रिका साह, 42, पि वर्ग	श्रीमती रीना देवी (पत्नी)	448/28.09.19	ग्रा०-चौराव, पो०+प्र०+जि०-गोपालगंज	38169995 593	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN0012566	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक
5	स्व० शिवजी मांझी, 46, अनु० जाति	श्रीमती जानकी देवी (पत्नी)	450/28.09.19	ग्रा०+पो०-बसडीला, प्र०+जि०-गोपालगंज	33740100 003063	बैंक ऑफ बड़ोदा, BARBOG0PALG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक
6	स्व० मुस्ताक अंसारी, 46, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सायरा खातुन (पत्नी)	462/4.10.19	ग्रा०+पो०-कोईनी, प्र०-मांझा, गोपालगंज	10052710 30080652	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, वेल्डर
7	स्व० चन्द्रिका प्रसाद, 49, पि० वर्ग	श्रीमती मोना देवी (पत्नी)	502/18.10.19	ग्रा०-करसघाट, पो०-झंझवा बाजार, प्र०-सिचवलिवा, गोपालगंज	33322603 81	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0282764	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर एवं ईंट निर्माण का कार्य
8	स्व० चम्पा देवी, 39, अनु० जन जाति	श्री रामध्यान साह (पति)	500/18.10.19	ग्रा०+पो०-रतनुपरा, प्र०-कुचायकोट, गोपालगंज	35955580 643	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0006727	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
9	स्व० ललन राय, 62, सामान्य	श्रीमती इंगलिश देवी (पत्नी)	498/18.10.19	ग्रा०-रसौती, पो०-धरहरा मेला, प्र०-कटेया, गोपालगंज	31063759 678	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0002961	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, परंतु कामगार
10	स्व० विरेश यादव, पि० वर्ग	श्रीमती उर्मिला देवी (पत्नी)	496/18.10.19	ग्रा०-बरगछिया, पो०-रामचन्द्रपुर, था०-थावे, गोपालगंज	31342591 367	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0012566	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, वाहन चालक
11	स्व० बाबर अली, 38, सामान्य	श्रीमती नाजरा खातुन (पत्नी)	494/18.10.19	ग्रा०-हरदिया, पो०-भी०एस०मिल, प्र०-थावे, गोपालगंज	34981884 069	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0015594	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि एवं पशुपालन का कार्य
12	स्व० रामलाल राम, 34, अनु० जाति	श्रीमती सुदमिया देवी (पत्नी)	492/18.10.19	ग्रा०-भेड़िया, पो०+था-थावे, गोपालगंज	34678434 05	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0281526	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बुझ मरम्मी का कार्य
13	स्व० राजु कुमार चौहान, 25, अ० पि० वर्ग	श्रीमती कुसुम देवी (पत्नी)	490/18.10.19	ग्रा०-रामपुर जीवधर, पो०-सलेहपुर, था०-विशाम्बरपुर, गोपालगंज	40125671 04	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0281314	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :- ₹ 880000/-

(आठ लाख अस्सी हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं0 श्रम क0 स0-59/2019 के पृष्ठ-03/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-59/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-59/2019-467

पटना, दिनांक :-26-12-19

प्रतिलिपि :- सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 880000/- (आठ लाख अस्सी हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।